in a Court of Law can be proceeded against under the relevant provisions of Indian Penal Code, 1860. Suitable departmental action against him can also be taken if he is convicted on the charge or as per such other directions as are given by the Court.

Imposing Penalties on Alleged Misconduct Pending Adjudication

8264. SHRI J. S. RAJU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether penalties specified in CCS (CCA) Rules, 1965 can be imposed for alleged misconduct which is subjudice and is pending adjudication in High Courts; and

(b) if so, what are the details of relevant provisions in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) There is no legal bar to taking departmental disciplinary action under the CCS (CCA) Rules, 1965 against a Government servant where criminal prosecution on the same charge is pending against him.

Annual Confidential Reports

8265. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Jaipur Bench of the Central Administrative Tribunal has held that annual confidential reports are not 'secret';

(b) if so, what are the facts of the judgement; and

(c) the action Government propose to take thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए योजनाएं

8266. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिन्न मंत्रालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए कोई नई योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की विद्यमान योजना 8 सितम्बर, 1993 को ही आरम्भ की गई थी अतः इस स्तर पर किसी नई योजना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सरकारी सेवा में आपराधिकरिकार्ड वाले व्यक्ति

8267. **श्री शारदा महन्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनके नाम पुलिस की अपराधियों और गुनाहगारों (हिस्ट्रीशीटर्स) की पक्की सूची में हैं और जो आमतौर से दिल्ली में सरकार की नौकरी में हैं और विशेष रूप से पुलिस में हैं तथा रामकृष्ण पुरम के पुलिस स्टेशन जैसे स्थानों पर नियुक्त हैं और वे सरकारी सेवा में किस प्रकार से हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवांछनीय तत्व जिसमें पूर्व आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, सरकारी सेवा में भर्ती न हो सकें, इसके लिए सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए